(b) if so, the details thereof; and

(c) the funds set apart for the said purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOM PAL): (a) The Government of Punjab has informed that Milkfed Punjab has no programme to set up dairy farming cooperative societies in the urban areas of Punjab. However, the district level cooperative milk unions in all major urban areas are equipped to cater urban liquid milk and milk products requirements.

(b) and (c) Questions does not arise in view of (a) above.

Fund for Horticulture activities

2500. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) details of fund allocated to the State of Gujart by the Government of India for horticulture activities;

(b) whether Government of Gujarat has submitted a statement thereon;

(c) if so, the details of fund utilized; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOM PAL): (a) to (d) During the financial year 1998-99 as against an allocation of Rs. 461.84 lakhs, an amount of Rs. 177.36 lakh was released to the State Government of Gujarat for implementation of central sector/centrally sponsored schemes for the development of horticulture by the State Government. As per the latest information received from the State Government, the State Government have utilised Rs. 60.91 lakhs under various schemes.

परती भूमि को कृषि-योग्य भूमि में बदलने के लिए योजना

2501. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने कितनी-कितनी आवश्यकताओं के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की मांग की है;

(ग) क्या सरकार ने परती भूमि को कृषि-योग्य भूमि में बदलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में कितने क्षेत्र में ऐसी परती भूमि उपलब्ध है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (घ) परिभाषा के अनुसार, बंजर भूमि में पथरीली भूमि और अन्य ऐसी भूमि शामिल हैं जिसे कम लागत पर खेती के तहत नहीं लाया जा सकता। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा कृषि और सहकारिता विभाग की ओर से इस समय ऐसी कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही जिसमें बंजर भूमि को कृष्य भूमि में परिवर्तित किया जाए। तथापि, कृषि और सहकारिता विभाग मृदा संरक्षण और भूमि के सुधार के लिए कई केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है यथा (i) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ii) क्षारीय मृदा के सुधार की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (iii) सोडिक मृदा के सुधार की विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना और (iv) क्षारीय मृदा के सुधार और विकास की यूरोपीय सहायता प्राप्त परियोजना।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की खरीद संबंधी व्यवस्था

2502. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूध के कम विक्रय-मूल्य और अधिक क्रय मूल्य होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित औसत वार्षिक घाटा कितना है; और

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना सीधे दूध उत्पादकों से दूध की खरीद करती है और यदि नहीं, तो दूध की खरीद संबंधी क्या व्यवस्था है तथा इस समय किस मूल्य पर दूध खरीदा जाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 (जनवरी, 99